

पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड होने से
 दिनांक 14-12-14 को पेश हो।
 2
 धारा 3

10/12/14 पत्रावली प्रस्तुत / पत्रावली पूर्व आपेक्षा अनुसार
 दिनांक 6-2-15 को पेश हो।

6/2/15 पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड में वयाप होने से
 दिनांक 6/3/15 को पेश हो।

धारा 3

10/4/15 बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन
 अधिकारी अवसुनवाई में होने से
 प्रकरण दि. 1.5 / 2.5 / 3.5 को पेश हो।

4-7-15 पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी
 उपस्थित / पत्रावली द्वारा प्रस्तुत में राजीनामा
 पेश हुआ, पीठासीन द्वारा पीठासीन अधिकारी
 को पत्रावली पेश की गई अतः उपरोक्त राजीनामा
 अद्यतन वादों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
 कि मौरा मंडी परिवार द्वारा मंडी लहरीय क्षेत्र
 की जमीन संख्या 2066 से 2069 के खाला
 संख्या 67 में वर्तित आजादखिल जिला पट्टा
 कुल रकबा 27-08 की दूरी है 4/3 हिस्से
 का पीठासीन संख्या 1 एमिडा जिला नाना 4/3 हिस्से
 का पीठासीन संख्या 2 से 7 नाममात्र भंडा, मंगल, सोहन,
 कबीर, कल्याण जिला अमरा एवं 4/3 हिस्से का
 धारिवाही संख्या 1 से 7 के खालेदार काठलका
 को पीठासीन पेश किया जाता है पत्रावली निर्गत होकर
 संख्या से पुनः हो।

निर्णय सुनाया गया।

सदस्य
 लोक अदालत, कोटड़ा

उपखण्ड अधिकारी
 कोटड़ा (जिला उदयपुर)